52

निविदा संख्या– 01,

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
सिंचाई भवन, पुराना सचिवालय
पटना–800015

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के लिए मासिक/दैनिक भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु निविदा सूचना पत्र :–

1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के उपयोगार्थ मासिक/दैनिक भाड़े पर वाहन (ईधन एवं चालक के साथ) हेतु मुहरबंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदादाता द्वारा निम्न वाहनों का दर प्राक्कलित किया जाना अपेक्षित हैः–

क्र०सं०	वाहन का प्रकार	वाहन की संख्या
1	Toyota Innova Crysta	आवश्यकतानुसार
2	Mahindra XUV 700	आवश्यकतानुसार
3	Mahindra Scorpio N	आवश्यकतानुसार
4	Mahindra Bolero	आवश्यकतानुसार
5	Maruti Ertiga	आवश्यकतानुसार
6	Hyundai Creta	आवश्यकतानुसार
7	Maruti Dzire	आवश्यकतानुसार
8	Maruti Brezza	आवश्यकतानुसार

2. निविदादाता दाता को Annxure-A एवं Annxure-B में दिए गए प्रपत्र में आवश्यक सूचना उपलब्ध करानी होगी। निविदादाता द्वारा अंकित किए गए मासिक दर को चयन का आधार बनाया जाएगा। यदि किसी निविदादाता द्वारा वाहन का मासिक दर अन्य निविदादाताओं के दर से कम होगा परन्तु उनके द्वारा दैनिक दर अन्य निविदादाताओं के दर से अधिक होगा तो उन्हें प्राथमिकता देते हुए दैनिक दर को पुनर्निर्धारित करने के लिए इनसे बातचीत (Negotiation) की जायेगी, जिससे उनके दैनिक दर को निर्धारित किया जा सके।

3. **शर्तें, बंधेजें एवं दायित्वः–**

(A) वाहन आपूर्त्तिकर्त्ता के दायित्व :–

i. संविदा के अनुरूप वाहन आपूर्त्तिकर्त्ता सुनिश्चित करेंगे की वाहन एवं चालक की सेवा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग या उसके पदाधिकारी/कर्मी को प्रतिदिन अथवा आवश्यकता पड़ने पर निश्चित किये गये समय पर उपलब्ध

करायेंगे। 15 मिनट से ज्यादा की विलंब होने पर विभाग को अधिकार होगा कि वो अन्य वाहन की सेवा ले लेंगे एवं अन्य वाहन को भुगतान किये गये राशि की वसूली वाहन आपूर्त्ति कर्त्ता से किया जायेगा।

ii. वाहन आपूर्त्तिकर्त्ता संविदा में लिखित शर्त्तों का पूर्णतः अनुपालन करेंगे ।

iii. वाहन सप्ताह के सातों दिन उपलब्ध कराना होगा।

iv. वाहन आपूर्तिकर्त्ता, आपूर्त्ति किये गये वाहन को नियत स्थान एवं समय पर इंधन की टंकी फुल करके भेजेंगे।

v. वाहन के किसी भी ब्रेक डाउन, रख–रखाव एवं अनुरक्षण की स्थिति में वाहन आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा अपने खर्च पर दूसरी व्यवस्था कर उसी मापदंड का वाहन विभाग को उपलब्ध करायेंगे। उक्त स्थिति में वाहन आपूर्तिकर्त्ता द्वारा ऐसा सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विभाग को वैकल्पिक व्यवस्था करने में जो खर्च करना पड़ेगा उसकी वसूली वाहन आपूर्त्तिकर्त्ता से की जायेगी ।

vi. वाहन आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा प्राप्त किये गये संविदा अनुबंध को अंशतः या पूर्णतः किसी अन्य आपूर्त्तिकर्त्ता के साथ अनुबंधित करने की छूट नहीं होगी ।

vii. वाहन आपूर्त्तिकर्त्ता केवल Comprehensive Insurance वाले वाहन की हीं सेवा प्रदान करेंगे ।

viii. वाहन आपूर्त्ति कर्त्ता द्वारा आवंटित किये गये कर्मी का पुलिस Verification कराया जायेगा ।

ix. वाहन आपूर्त्तिकर्त्ता/चालक द्वारा लॉग बुक में प्रतिदिन आरंभिक कि०मी०, अंतिम कि०मी०, परिचालित दूरी अंकित करके वाहन को उपयोग करने वाले पदाधिकारी/कर्मी से हस्ताक्षर तुरन्त प्राप्त करेंगे। ऐसा नहीं करने पर Penal Provision Impose किया जायेगा।

x. वाहन आपूर्त्तिकर्त्ता गुणवत्ता पूर्ण सेवा प्रदान करेंगे ।

xi. वाहन का निबंधन बिहार राज्य में व्यवसायिक वाहन के रूप में होना चाहिए ।

xii. आपूर्त्ति किये गये वाहन, आदेश निर्गत की तिथि से दो साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए । वाहन आपूर्तिकर्त्ता द्वारा किराये पर दिये जाने वाले वाहन के पास वैध निबंधन प्रमाणपत्र, Comprehensive Insurance Third Party and Occupants के साथ, PUC Permit एवं अन्य प्रासंगिक लाइसेन्स/Permit जो DTO एवं अन्य

वैधानिक संस्था द्वारा व्यवसायिक परिचालन के लिय आवश्यक हो, होना चाहिए तथा उसका नवीकरण अनुबंध की समाप्ति की तिथि के पूर्व होनी चाहिए ।

xiii. किराये पर दिये जाने वाले वाहन पूर्ण रूप से अच्छी स्थिति में, भीतर तथा बाहर से साफ–सुथरा एवं हाईजेनिक स्थिति में होनी चाहिए ।

xiv. सभी वाहन आकस्मिक चिकित्सा किट एवं अग्निशमन उपकरण के साथ सुसज्जित होने चाहिए एवं सीट पर तौलिया लगा होना चाहिए ।

xv. यह सुनिश्चित हो कि वाहन के विद्युत कनेक्शन, लाईट, हौर्न, मोड़ सूचक लाईट, एयर कंडीसनर एवं वाहन के अन्य उपकरणीय सिस्टम अच्छी स्थिति में हो तथा समय समय पर इसकी जाँच होनी चाहिए जिससे विभाग को किसी प्रकार की असुविधा न हो ।

xvi. वाहन को विभाग/पदाधिकारी/कर्मी द्वारा बताये गये नियत समय एवं स्थान पर खड़ा होना चाहिए । यदि वाहन को पेट्रॉल/डीजल भरवाने, रिपेयरिंग इत्यादि के लिये बाहर ले जाने की जरूरत हो तो सेवा प्राप्तकर्त्ता को जानकारी में देकर ही ले जाना होगा, यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उस समय वाहन सेवा प्राप्तकर्त्ता को उपलब्ध नहीं कराया गया एवं इसके लिये वाहन आपूर्तिकर्त्ता पर दण्ड अधिरोपित किया जा सकता है ।

xvii. वाहन में टॉर्च, छाता, सेनेटाईजर, मोबाईल चार्जर, टिशु पेपर बॉक्स तथा स्वच्छ वायु द्वारा ताजगी महशूस होने वाला यंत्र लगा होना चाहिए ।

xviii. वाहन आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा आपूर्त्ति किये गये वाहन का RC, Insurance, PUC, चालक के Driving Licence की छाया प्रति विभाग में जमा करना होगा ।

xix. लॉग बुक विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप में संधारण करना होगा।

(B) <u>प्रतिनियुक्त चालक/कर्मी का दायित्व :</u> – वाहन आपूर्तिकर्त्ता वाहन पर प्रतिनियुक्त किये जाने वाले चालक एवं कर्मी द्वारा संपादित कार्यों के लिये पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे–

i. चालक किसी भी हालत में शराब पीकर एवं अन्य नशे में धुत होकर कार्य पर उपस्थित नहीं होंगे। यदि ऐसा होता है तो विभाग को पूर्ण अधिकार होगा कि वे तुरंत एकरारनामा रद्द कर दें।

(49)

ii. चालक एवं कर्मी अपना कार्य विनम्रतापूर्वक संपादित करेंगे एवं दूसरे कर्मी से भी उनका व्यवहार विनम्रतापूर्वक होगा। ऐसा नहीं होने पर प्रतिनियुक्त चालक/कर्मी पर संविदा की शर्त्तों के अनुसार दण्ड अधिरोपित किया जायेगा। ऐसी गलती बार–बार दोहराने पर एवं निम्नांकित व्यवहार के कारण सेवा से मुक्त कर दिया जायेगा ।

iii. कार्यावधि के दौरान चालक/कर्मी का कर्त्तव्य से इंकार करना यदि, प्रतिनियुक्त पदाधिकारी या विभाग द्वारा सूचित किया जाता हो।

iv. असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल करना ।

v. चालक के पास एक मोबाईल, वैध नम्बर के साथ होना चाहिए जिससे विभाग/पदाधिकारी कभी भी संपर्क कर सकें ।

vi. किसी भी कारणवश चालक का मोबाईल नंबर बदली होता है तो इसकी सूचना वाहन आपूर्तिकर्त्ता द्वारा विभाग को तुरन्त दी जानी होगी ।

vii. चालक अपनी कार्यावधि के दौरान हमेशा विभाग के संबंधित पदाधिकारी के संपर्क में बने रहेंगे ।

viii. प्रतिनियुक्त चालक के पास वाहन चालन का वैध लाईसेन्स एवं तीन वर्षों का अनुभव होना अनिवार्य है ।

ix. चालक साफ–सुथरी वर्दी पहनेंगे, यदि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा नियत रंग की वर्दी पहनने का आदेश दिया जाय तो उसका अनुपालन करेंगे।

x. विभाग द्वारा प्रतिनियुक्त चालक/कर्मी के व्यवहार एवं उनकी वर्दी के संबंध में कोई आरोप सूचित किया जाता है तो वाहन आपूर्तिकर्त्ता इसे गंभीरतापूर्वक लेंगे एवं इस पर समुचित कार्रवाई करेंगे ।

xi. अतिथियों के साथ अनावश्यक बात–चीत एवं कार्यचालन के समय मोबाईल का उपयोग स्वीकार्य नहीं होगा। आकस्मिक स्थिति में चालक आदेश लेकर वाहन किनारे खड़ा कर मोबाईल का उपयोग कम–से–कम समय के लिये कर सकते हैं।

xii. विभाग द्वारा जैसे ही चालक को किसी अतिथि के समक्ष उपस्थित होने या उन्हें Attend करने का निदेश दिया जाता है, तो चालक अतिथि को अपने मोबाईल

नम्बर एवं वाहन नंबर की सूचना फोन कर या SMS कर तुरन्त देंगे। मोबाईल एवं SMS पर होने वाला खर्च वाहन आपूर्तिकर्त्ता द्वारा वहन किया जायेगा।

xiii. चालक एवं वाहन को तुरन्त–तुरन्त बदली नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे किसी होनेवाले बदलाव की सूचना पूर्व में हीं वाहन आपूर्तिकर्त्ता द्वारा दी जानी चाहिए।

4. <u>निविदादाता के लिए निदेश एवं शर्त्ते–</u>

(A) <u>निविदादाता की अहर्त्ता एवं योग्यता–</u>

i. एजेंसी के निबंधन (Shops and Establishment Act के अधीन) का प्रमाण–पत्र।

ii. जी०एस०टीनिबंधन संख्या (निबंधन प्रमाण–पत्र संलग्न करें)।

iii. पैन कार्ड की छायाप्रति।

iv. विगत तीन वर्षों का औसत व्यापार 25 लाख या इससे उपर होनी चाहिए।

v. विगत तीन वित्तीय वर्षों के लेखा परीक्षण का प्रमाण–पत्र होना चाहिए।

vi. विगत तीन वित्तीय वर्षों का आयकर विवरणी की प्रति।

vii. इस क्षेत्र में कम–से–कम तीन वर्षों का अनुभव अनिवार्य है।

(B) <u>अग्रधन (EMD)/ निविदा प्रतिभूति (Bid Securiety)-</u>

अग्रधन के रूप में रू० 50,000/– (पचास हजार रूपये) मात्र, जो डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में किसी अनुसूचित/राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के नाम से जारी किया गया हो, तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

EMD की राशि तकनीकी निविदा के साथ प्रस्तुत नहीं किये जाने पर निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी।

(C) <u>निविदा की तैयारी –</u>

i. निविदा पूर्ण रूप से कम्प्यूटर टंकित किया गया हो तथा इसमें किसी प्रकार का Over Writing/ Cutting/Correcting with fluid नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार का फेर–बदल निविदादाता द्वारा सत्यापित होना अनिवार्य है अन्यथा निविदा अयोग्य हो जायेगा। दस्तावेज के सभी पृष्ठों को क्रमवार होना चाहिए तथा प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता का हस्ताक्षर होना चाहिए।

(47)

ii. निम्नलिखित मुहरबंद **लिफाफे "A" तथा "B"** को पुनः एक अन्य लिफाफा में डालकर एवं मुहरबंद कर संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, सिंचाई भवन, पुराना सचिवालय, बिहार, पटना–15 के पता पर जमा किया जाय। लिफाफे पर ''पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना में मासिक/दैनिक भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु निविदा'' एवं ''दिनांक–...01.09.2025... को अपराह्न **4.00** बजे के पूर्व खोलना वर्जित है'' अंकित रहना चाहिए।

लिफाफा "A"- तकनीकि निविदा से संबंधित वांछित दस्तावेजः

i. कंडिका 4(B) में वर्णित अग्रधन,

ii. Shops and Stablishment Act के अधीन एजेंसी के निबंधन के प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित प्रति,

iii. जी०एस०टी० निबंधन के प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित प्रति अद्यतन जी०एस०टी० रिटर्न की छायाप्रति के साथ,

iv. पैन कार्ड की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति,

v. विगत तीन वर्षों में निविदादाता द्वारा एकरार किये गये संविदाओं की विस्तृत विवरणी, सभी दस्तावेजो के साथ,

vi. उपलब्ध कराये जाने वाले वाहनों का निविदादाता के नाम से निबंधित होने अथवा उनके नियत्रंणाधीन होने संबंधी प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित प्रति,

vii. निविदादाता के द्वारा को प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी/नोटरी के समक्ष लिये गये इस आशय के शपथ–पत्र कि उनकी एजेंसी/कम्पनी केन्द्र सरकार/किसी राज्य सरकार/अर्द्धसरकारी संगठन द्वारा निषिद्ध/कालीसूची में नहीं डाली गयी है की प्रति,

viii. निविदादाता का अद्यतन चरित्र प्रमाणपत्र S.P. द्वारा निर्गत

ix. निविदादाता द्वारा निविदा में दर्शाए गये सभी शर्त्तों को स्वीकार करने सम्बंधी स्वहस्ताक्षरित शपथ पत्र,

x. प्रपत्र में निविदा दाता का नाम हस्ताक्षर, निविदादाता का पता एवं निविदाता के मोबाईल नम्बर के साथ–साथ फर्म का मुहरांकन स्पष्ट रूप से अंकित होगा।

लिफाफा "B"- वित्तीय निविदाः Annexure-A एवं Annexure-B में दिए गए प्रपत्र में पूर्णतः भरकर मुहर के साथ हस्ताक्षरित करना अनिवार्य है।

iii. निविदा को जमा करना– मुहरबंद लिफाफा को दिनांक–01.09.2025 को अपराह्न 3:00 बजे तक संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, सिंचाई भवन, पुराना सचिवालय, बिहार, पटना–15 के कार्यालय में जमा किया जाय। निर्धारित विलम्ब से प्राप्त निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

अंतिम तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

iv. निविदा खोलने की प्रक्रियाः

(a) सबसे पहले तकनीकि निविदा को दिनांक–01.09.2025 को अपराह्न 4.00 बजे संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना द्वारा गठित समिति द्वारा खोला जायेगा। इस प्रक्रिया में निविदादाता या उनके प्रतिनिधि पहचान पत्र एवं अधिकृत पत्र के साथ भाग ले सकते है।

(b) वित्तीय निविदा वाले लिफाफा "B" पर समिति के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा तथा अगली प्रक्रिया हेतु इसे मुहरबंद ही रखा जायेगा।

(c) तकनीकि निविदा में सफल सभी निविदादाता को वित्तीय निविदा खोले जाने की तिथि एवं समय की सूचना दी जायेगी। निविदादाता के प्रतिनिधि यदि चाहे तो उक्त तिथि को वित्तीय निविदा खोले जाने के समय उपस्थित रह सकते है।

v. एकरारनामा की अवधिः

(a) वित्तीय निविदा में सबसे निम्न दर अंकित करने वाले निविदादाता के साथ एकरारनामा किया जायेगा। यह एकरारनामा हस्ताक्षर के दिन से अगले एक वर्ष के लिए प्रभावी होगा।

(b) सेवा प्रदाता द्वारा एकरारनामा का अनुपालन संतोषजनक किये जाने की स्थिति में उक्त एकरारनामा को सेवा प्रदाता एवं विभाग के आपसी सहमति से एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

vi. <u>निष्पादन सुरक्षा (Performance Security):</u>

(a) सेवा प्रदाता को 100000/– (एक लाख रूपये) मात्र का Performance Security बैंक गारंटी के रूप में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना में जमा कराना होगा।

(b) उक्त बैंक गारंटी किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के पक्ष में जारी किया गया होना चाहिए। एकरारनामा का सफलतापूर्वक पालन करने के उपरांत उक्त Performance Security को सेवा प्रदाता को वापस कर दिया जायेगा।

(c) सेवा प्रदाता द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के साथ किये गये एकरारनामा का अनुपालन पूर्ण रूपेण नहीं किये जाने की स्थिति में उक्त Performance Security को विभाग द्वारा जब्त कर लिया जायेगा।

vii. निविदादाता से अपेक्षा की जाती है कि वे निविदा जमा करने के पूर्व सभी वांछित कागजात को सावधानीपूर्वक पढ़ लिये हैं। यह माना जायेगा कि निविदादाता ने निविदा के सभी शर्त्तों को ठीक से समझते हुए इसे स्वीकार किया है। निविदा की स्वीकृति/अस्वीकृति के उपरांत किसी भी प्रकार के मौखिक अथवा लिखित पूछताछ पर विचार नहीं किया जायेगा।

viii. सेवा प्रदाता द्वारा किसी अन्य उप संवेदक को वचनबद्ध नहीं करेंगे अथवा इस एकरारनामा को किसी अन्य को पूर्णतः/आंशिक रूप में स्थानांतरित नहीं करेगे।

ix. सेवा प्रदाता का चयन होने के उपरान्त यदि वे विभाग के साथ एकरारनामा करने से इन्कार करते है तो उनका अग्रधन (EMD) जब्त कर लिया जायेगा।

x. <u>दंड का अधिरोपणः–</u>

समय का अनुपालन नहीं करने, वाहन चालक द्वारा अशोभनीय व्यवहार, वाहन का अनुरक्षण ठीक से नहीं करने, वाहन की आपूर्त्ति ससमय नहीं करने की

स्थिति में सेवा प्रदाता पर दंड आरोपित किया जायेगा। इस स्थिति में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना किसी अन्य सेवा प्रदाता से सेवा प्राप्त कर सकता है तथा इस सेवा के शुल्क का भुगतान सेवा प्रदाता से राशि लेकर अन्य सेवा प्रदाता (जिनसे वाहन ली गयी होगी) को किया जायेगा।

यदि सेवा प्रदाता द्वारा एकरारनामा में वर्णित वाहनों के मॉडल से अन्यून वाहन उपलब्ध करायी जाती है अथवा उनके द्वारा असंतोषजनक सेवा प्रदान की जाती है, तो उनपर अधिकतम 10% तक का दंड अधिरोपित किया जायेगा। दंड की राशि का समायोजन उनके द्वारा प्रस्तुत विपत्र की राशि को कम कर की जायेगी।

xi. <u>विपत्रों का भुगतान–</u>

(a) सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत विपत्रों का भुगतान प्रत्येक माह के आधार पर किया जायेगा। यदि किसी प्रकार का दंड अधिरोपित किया गया हो तो उसे घटाकर उक्त विपत्र को भुगतान किया जायेगा। किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत विपत्र पर आपूर्त्ति की गई वाहन का पंजीकरण संख्या, GST संख्या, बैंक खाता का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए तथा इसे ड्यूटी स्लीप के साथ विभाग को प्रस्तुत किया जायेगा।

(b) विपत्रों का भुगतान सेवा प्रदाता को उनके बैंक खाते के माध्यम से किया जायेगा।

(c) ड्यूटी स्लीप पर किसी प्रकार का ओवर राईटिंग नहीं होना चाहिए। यदि किसी प्रकार का ओवर राईटिंग किया जाता है तो इसके सत्यापन स्वरूप सेवा प्रदाता का हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक होगा।

(d) IT TDS/GST TDS की कटौती नियमानुसार की जायेगी।

(e) किराया चार्ज में सभी ईंधन खर्च, अनुरक्षण, कल–पुर्जो सहित एवं चालक तथा कर्मी का वेतन, बीमा का प्रीमियम, सड़क टैक्स आदि सम्मिलित है।

(43)

(f) वाहन आपूर्तिकर्त्ता प्रतिनियुक्त वाहन का व्यापक बीमा Third Party असीमित रिस्क के साथ लेगा। विभाग किसी भी दुर्घटना, आम जनता एवं Third Party को होने वाले नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

(g) वाहन आपूर्त्तिकर्त्ता श्रम कानून विशेषकर Minimum Wage Act, मजदूरी भुगतान अधिनियम भविष्य निधि, राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम, Contract Labour Act Worksmen Compensation Act etc का अनुपालन यथासंभव सुनिश्चित करेंगे।

(h) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के निविदा को संशोधित अथवा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

14.8.18

संयुक्त सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार, पटना

ANNEXURE-A

Type of Vehicle	*Rate in Rupees (Inclusive Cost of Fuel and wages driver etc. and exclusive of all tax)						
	Schedule I		Schedule II			Schedule III	
	Local Booking		Outstation Booking			Monthly Booking	
	Full Day-A (75 km/12 Hr) (Basic Rate)	Full Day-B (Extra Rate After 12 HR)	Basic Rate (Rs/km)	Night Halt	Minimum Chargeable (Km/Day)	Up to 1500Km (Basic Rate)	Extra Rate (Rs/ Km)
Toyota Innova Crysta							
Mahindra XUV 700							

Note :- Negotiation may be made with bidder who has quoted lowest rate in schedule III for schedule I & II, If the rate quoted by him in schedule I & II is higher than other bidders.

Signature & Seal of Bidder

Name and Designation of Authorized Signatory of Bidder

ANNEXURE-B

Sl.	Type of Vehicle	*Rate in Rupees (Inclusive Cost of Fuel and wages driver etc. and exclusive of all tax)						
		Schedule I		Schedule II			Schedule III	
		Local Booking		Outstation Booking			Monthly Booking	
		Full Day-A (75 km/12 Hr) (Basic Rate)	Full Day-B (Extra Rate After 12 HR)	Basic Rate (Rs/km)	Night Halt	Minimum Chargeable (Km/Day)	Up to 1000Km (Basic Rate)	Extra Rate (Rs/ Km)
1	Mahindra XUV 700							
2	Mahindra Scorpio N							
3	Mahindra Bolero							
4	Maruti Ertiga							
5	Hyundai Creta							
6	Maruti Dzire							
7	Maruti Brezza							

Note :- Negotiation may be made with bidder who has quoted lowest rate in schedule III for schedule I & II, If the rate quoted by him in schedule I & II is higher than other bidders.

Signature & Seal of Bidder

Name and Designation of Authorized Signatory of Bidder